हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20/3/24 वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी [illegible] तलबी हेतु पुनः नोटिस तलबाना पेश कर। पत्रावली दिनांक 3/6/24 को पेश हो। तब तक T.P. [illegible] बढ़ाई जाती है।	
	11/4/24 वकील के द्वारा स्वयं प्रार्थी [illegible] के छा० पत्र पेश करने पर पत्रावली पेश की ली गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मुख्य लोग अदालत की भावना से राजीनामा हो पुनः हर्जाना स्तर पर प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद को Not Press कर लिया है। अतः छा० पत्र [illegible] को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। छा० पत्र [illegible] के दिनांक 30.03.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 11:54:59 IST
Reason: SelfAttested